न्यायालय उपखण्डाधिकारी महोदय सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठसीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 869/2019

1. ब्रदीप्रसाद पुत्र मामराज जाति कुम्हार निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
2. लालचन्द पुत्र मामराज जाति कुम्हार निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
3. महेन्द्र सिंह पुत्र मामराज जाति कुम्हार निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

– वादीगण

बनाम

1. मामराज पुत्र चेतनराम जाति कुम्हार निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
2. माया देवी पुत्री मामराज पत्नी ताराचन्द जाति कुम्हार निवासी 5 केवाईडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 RTA

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण

1	श्री जगनंदन सिंह अधिवक्ता	वादीगण
2	श्री अनिल शर्मा अधिवक्ता	प्रतिवादीगण 1 ता 2
3	राजपैरोकार स्टेट	प्रतिवादी संख्या 3

निर्णय दिनांक: 24.2.2020

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीए के तहत् इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि पक्षकार हिन्दु धर्म व हिन्दू ला के मिताक्षरा स्कूल से शासित है। प्रत्येक पुत्र पुत्री का जदी जायदाद कोपार्सनरी एवं संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति में जन्म से हक व अधिकार है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है और आपस में रक्त संबध है। चक 5 एलएलजी के खाता संख्या 42/41 के प0न0 25/159 मु0न0 53 के कि0न0 9, 11, 12, 19 ता 22 सालम, प0न0 25/160 मु0न0 54 के कि0न0 1, 10 सालम कुल किता 9 कुल क्षेत्रफल 2.264 हैक्टर नहरा आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को आराजी बांट कर दे रखी है ताकि काश्त की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

सुविधा को लेकर आराजी के टुकड़े ना हो एवं आराजी अच्छी से काश्त हो सके। इस कारण वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से प्राप्त आराजी को निम्न प्रकार से आपस में घरू बंटवारा कर रखा है एवं घरू बंटवारा में वादी संख्या 1 ब्रदीप्रसाद को चक 5 एलएलजी के खाता संख्या 42/41 प0न0 25/159 मु0न0 53 के कि0न0 9, 11, 12 सालम कुल 0.759 हैक्टर, वादी संख्या 2 लालचन्द को चक 5 एलएलजी के खाता संख्या 42/41 प0न0 25/159 मु0न0 53 के कि0न0 21 सालम, प0न0 25/160 मु0न0 54 कि0न0 1, 10 सालम कुल 0.759 हैक्टर व वादी संख्या 3 महेन्द्र सिंह को चक 5 एलएलजी के खाता संख्या 42/41 प0न0 25/159 मु0न0 53 के कि0न0 19, 20, 22 सालम कुल 0.759 हैक्टर आराजी प्राप्त हुई है जो कि कब्जा काश्त में चली आ रही है व प्रतिवादी संख्या 1 को मुताबिक बंटवारा दावा की मंद संख्या 4 में वर्णित आराजी प्राप्त हुई है। उक्त वर्णित आराजी वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से प्राप्त हुई है आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज नही रहने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 अक्सर धमकियां देता है कि उक्त वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड में मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा तुझे उक्त आराजी से बेदखल कर दुंगा तथा उक्त वर्णित आराजी वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड नही होने के कारण वादीगण को काफी परेशानियो का सामना करना पड़ता है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 5 एलएलजी के खाता संख्या 42/41 में 2.264 हैक्टर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसकी वादीगण को दावा की मंद संख्या 4 अनुसार मुताबिक बंटवारा आराजी की अपने नाम घोषणा प्राप्त कर खातेदारी पाने का हक व अधिकारी है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादी संख्या 1 को कहा कि वह वादीगण को मुताबिक बंटवारा हक व हिस्सा की कब्जा काश्त अनुसार दावा की मंद संख्या 4 अनुसार खातेदार काश्तकार स्वीकार कर लेवे तथा सहमति के आधार पर उक्त आराजी वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा देवे। पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 आज कल करता रहा और बैमुकाम लालगढ़ में स्पष्ट ईन्कार हो गया और ऐलानियां धमकीयां दी कि उक्त आराजी को बेचान कर दुंगा बेचान कर अन्यत्र खरीद कर लुंगा ताकि तुम्हे कोई हिस्सा न मिले तुम्हे जो करना है कर लो। बस यही बिनाय दावा है। वाद वादीगण की ओर से पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण का निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-

लिहाजा इस आश्य की घोषणा की जावे कि वादी संख्या 1 ब्रदीप्रसाद को चक 5 एलएलजी के खाता संख्या 42/41 प0न0 25/159 मु0न0 53 के कि0न0 9,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

11, 12 सालम कुल 0.759 हैक्टर, वादी संख्या 2 लालचन्द को चक 5 एलएलजी के खाता संख्या 42/41 प0न0 25/159 मु0न0 53 के कि0न0 21 सालम, प0न0 25/160 मु0न0 54 कि0न0 1, 10 सालम कुल 0.759 हैक्टर व वादी संख्या 3 महेन्द्र सिंह को चक 5 एलएलजी के खाता संख्या 42/41 प0न0 25/159 मु0न0 53 के कि0न0 19, 20, 22 सालम कुल 0.759 हैक्टर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त आराजी उक्तानुसार वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे एवं वादीगण का उक्त आराजी का खाता अलग–अलग कायम किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की ओर से ईकबाल दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 जबाब स्टेट पेश हुआ कि राज्यहित को मध्यनजर रखते हुये वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तो कोई एतराज नही होगा।

उभय पक्षकारण अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के अधिवक्ता ने वादी के तथ्यो को स्वीकार किया एवं वादपत्र स्वीकार किये जाने पर कोई ऐतराज नहीं जताया।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस उभय पक्ष के अधिवक्तागण की सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि उक्त आराजी वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के दादा से प्राप्त हुई है जो मुताबिक बंटवारा वादीगण के हक व हिस्सा में आयी थी। वादग्रस्त आराजी में अपना हक व हिस्सा होने की हैसियत से घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने वादीगण के कथनो पर अपनी सहमति प्रकट करते हुये ईकबालदावा पेश किया है। इस प्रकार वादीगण ने अपना दावा को दस्तावेजी साक्ष्य, ईकबालदावा के कथनो एवं बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। ऐसी स्थिति में वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि वादी संख्या 1 ब्रदीप्रसाद को चक 5 एलएलजी के खाता संख्या 42/41 प0न0 25/159 मु0न0 53 के कि0न0 9,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

11, 12 सालम कुल 0.759 हैक्टर, वादी संख्या 2 लालचन्द को चक 5 एलएलजी के खाता संख्या 42/41 प0न0 25/159 मु0न0 53 के कि0न0 21 सालम, प0न0 25/160 मु0न0 54 कि0न0 1, 10 सालम कुल 0.759 हैक्टर व वादी संख्या 3 महेन्द्र सिंह को चक 5 एलएलजी के खाता संख्या 42/41 प0न0 25/159 मु0न0 53 के कि0न0 19, 20, 22 सालम कुल 0.759 हैक्टर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

एवं उक्तानुसार ही वादीगण का खाता अलग–अलग कायम किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर उक्तानुसार ही अंतिम डिक्री जारी हो। यदि रकबा बैक रहन है तो बैक ऋण चुकता होने पर डिक्री की पालना की जावे तहसीलदार राजस्व को पालनार्थ पत्र जारी हो। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.2.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.17 12:45:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: